कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/पेंशन पुन./ 3252 जबलपुर, दि. 14.08.18

## आदेश

विषय:- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त-पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने म.प्र.शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9/2/2018/नियम/चार दिनांक 11.6.2018, जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित है, को यथा आवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है :-

(i) पेंशन/परिवार पेंशन - पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणांक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रूपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन में महंगाई राहत शामिल नहीं होगी। यह पुनरीक्षण दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगा ।

(ii) सारांशीकरण - पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा।

(iii) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रूपये 7,750/- प्रतिमाह होगी ।

(iv) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् कंपनी से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा ।

(vi) ऐसे प्रकरणों में जहां सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुये एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसे पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा ।

क्रमश: 2

2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित कर रहे कंपनी के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियां पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जायेगी । लेखाधिकारी कार्यालय से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

3/ संबंधित लेखाधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जांच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जायेगा । पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत महंगाई राहत दी जायेगी ।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संबंधित लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

6/ यह आदेश, म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम 2003 में परिभाषित "विद्यमान पेंशनर्स" तथा दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् किंतु 01.01.2016 के पूर्व कंपनियों से सेवानिवृत्त, पेंशनरों/परिवार पेंशनरों पर लागू होंगे ।

आदेशानुसार

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/पेंशन पुन./ 3253 जबलपुर, दि. 14.08.18

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत) /(सामग्री प्रबंधन)/ (सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।

क्रमशः 3

3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना/ अताविगृह/ सताविगृह/संगांताविगृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/चचाई/सारनी/ बिरसिंहपुर
4. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल ।
7. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इंदौर ।
8. मुख्य अभियंता (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
9. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
10. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार) /(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स.ता.वि.गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. सारनी ।
13. कार्यपालक सहायक संबद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
14. अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.), पेंच/राजघाट/गांधीसागर/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/ तीन/चार / मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. तोतलाडोह/चंदेरी/गांधीसागर/बरगीनगर/ शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना, ।
15. अधीक्षण अभियंता (सिविल)-सर्वे.अन्वे.एवं जल विद्युत संधा., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./ अताविगृह/ सताविगृह/ संगांताविगृह/टीएचसी म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/खण्डवा/ चचाई/सारनी/ बिरसिंहपुर/सिरमौर ।
17. स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन. कं.लि. जबलपुर।
18. आदेश नस्ती ।

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार सिंघई)
संयुक्त सचिव
कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर